

आरुटकम/परफॉरमेन्स बजट 2021-22
(में बजट प्रस्तुत होने के उपरान्त की स्थिति के अनुसार)

विभाग का नाम-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड।

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0- 01.07 & 12

(धनराशि लाख ₹में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आरुटक ले/बजट		01.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आरुटकपुट वर्ष 2021-22	कल्पित (प्रोजेक्टेड) आरुटकम वर्ष 2021-22	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	अधिष्ठान व्यय (खाद्य)	राज्य के प्राथमिकी, अन्त्योदय तथा राज्य खाद्य योजना से आच्छादित परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	4491.22	-	744 कार्मिक	744 कार्मिक	744 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय	विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वेतन/भत्तों का भुगतान किया जाना है। विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।	वार्षिक
02	अधिष्ठान व्यय (राज्य खाद्य आयोग)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न से सम्बन्धित उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई किया जाना।	70.34	-	10 कार्मिक	10 कार्मिक	10 अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के दृष्टिगत वैधानिक परिपेक्ष में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। राज्य खाद्य आयोग द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाना, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद मिली है।	वार्षिक
03	खाद्यान्न सब्सिडी	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना।	9000.00	-	NFSA के अन्तर्गत 12712.830 मी0टन गेहूँ व 20741.970 मी0टन चावल TAO के अन्तर्गत 5669.400 मी0टन गेहूँ	NFSA के अन्तर्गत 12712.830 मी0टन गेहूँ व 20741.970 मी0टन चावल TAO के अन्तर्गत 5669.400 मी0टन गेहूँ	NFSA (PHH & AAY)- 12712.830 मी0टन गेहूँ व 20741.970 मी0टन चावल का आवंटन प्रतिमाह किया जाता है। Tide Over Allocation - 2792.400 मी0टन चावल 5669.400 मी0टन गेहूँ का आवंटन प्रतिमाह।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ते सस्ते और रियायती कीमतों पर खाद्यान्न/चीनी तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाना ताकि उन्हें वस्तुओं की बढ़ती हुयी कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके। उक्त व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से बनाये जाने पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को खाद्यान्न/चीनी वितरण पर सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है।	वार्षिक

04	चीनी सब्सिडी	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित सस्ती दरों पर अन्त्योदय उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराया जाना।	1000	-	182.179 मी०टन चीनी	182.179 मी०टन चीनी	अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 182.179 मी०टन चीनी का आवंटन प्रतिमाह।	182179 अन्त्योदय परिवारों को चीनी का वितरण किया गया।	वार्षिक
05	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत Electronic Weighing मशीनों की स्थापना।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप में संचालित करना	402.00	500.00	4801	7416	राज्य के 196 खाद्यान्न गोदामों में Electronic Weighing मशीने लगाया जाना। सी०एस०सी० योजना के अन्तर्गत सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों सिस्टम इन्टीग्रेटर मॉडल (SIM) के अन्तर्गत सी०एस०सी० के माध्यम से 9225 एफ०पी०एस० को ऑटोमेट किये जाने के लिए सम्बन्धित फर्म को वितरित की गयी खाद्यान्न की मात्रा पर 0.17 प्रति किलो ग्राम की दर से भुगतान किया जाता है।	उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न वितरित किये जाने तथा तौल में पारदर्शिता लाये जाने हेतु प्रत्येक गोदाम में इलैक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है तथा सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों को ऑटोमेट किया जा रहा है।	02 वर्ष
06	उपभोक्ता जागृति योजना (कन्ज्यूमर हेल्प लाईन)	उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण विषयक मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण।	15.00	100.00	501 शिकायतों का निस्तारण	1635 शिकायतों का निस्तारण	इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाना है।	उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभोक्ता अधिनियम 1936 तथा 2019 में दिये गये उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित किये जाने हेतु उन्हें जागृत किये जाने तथा न्यायालय/आयोग में वाद दाखिल करने से पूर्व उपभोक्ताओं की समस्याओं का जनसूचना संचार के माध्यम से निदान कराया जाना।	05 वर्ष

08	सिविल पूर्ति के अन्तर्गत परिवारों हेतु गैस पर अनुदान।	गैस विहीन परिवारों को गैस कनेक्शन हेतु अनुदान सहायता	25.00		7761 गैस कनेक्शन पर अनुदान	6250 गैस कनेक्शन पर अनुदान	14375 निर्धन गैस विहीन परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब तक 7761 निर्धन परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।	राज्य के ऐसे लाभार्थी जो प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना की परिधि में नहीं आते हैं उनको अनुदान प्रदान करते हुये धुंआ रहित इंधन उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन दिये गये, जिससे घरेलू तथा कामकाजी महिलाओं के जीवन स्तर में सुखद बदलाव हुये हैं।	02 वर्ष	
निर्माण योजना (राज्य सेक्टर) पूंजीगत										
01	सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक/सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, कुमायूँ सम्भाग तथा उपायुक्त हल्द्वानी के कार्यालय भवन का निर्माण।	खाद्य विभाग के सम्भागीय स्तर के कार्यों को सफलता पूर्वक सम्पादन करने के लिये।	—	50.00	01 कार्यालय भवन	01 कार्यालय भवन	सम्भागीय कार्यालय भवन का निर्माण।	01 कार्यालय भवन के निर्माण कराये जाने से कार्यालय प्रबन्धन में सुविधा होगी तथा कर्मचारियों के कार्य कुशलता में गुणात्मक सुधार होगा।	03 वर्ष	
02	गोदामों का निर्माण	खाद्यान्न को सुरक्षित रखने हेतु खाद्यान्न गोदामों का निर्माण	—	150.00	02 खाद्यान्न गोदाम	02 खाद्यान्न गोदाम	02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण जिनमें से 01 गोदाम जनपद बागेश्वर तथा 01 गोदाम जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन है।	02 खाद्यान्न गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे खाद्यान्नों के रखरखाव एवं प्रबन्धन में गुणात्मक सुधार हुआ है। फलस्वरूप खाद्यान्न की प्राकृतिक आपदाओं के कारण हानियों में कमी आयी है।	02 वर्ष	

(मनीष कुमार उप्रेती)
वित्त नियन्त्रक।

